भारतीय दूरसंचार वधियेक प्रस्ताव 2022

प्रलिमि्स के लयि:

दूरसंचार वभिाग (DoT), भारतीय दूरसंचार वधियेक प्रस्ताव 2022, ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म, भारतीय टेलीग्राफ अधनियिम, 1885, भारतीय दूरसंचार नयिामक प्राधकिरण (TRAI), दूरसंचार वकिास कोष (TDF), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI), भारत नेट प्रोजेक्ट, प्राइम मनिस्टिर वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)।

मेन्स के लयि:

भारत के दूरसंचार क्षेत्र का महत्त्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **दूरसंचार वभिाग (DoT)** ने इंटरनेट आधारति ओवर-द-टॉप (OTT) दूरसंचार सेवाओं को वनियिमति करने के लयि **भारतीय दूरसंचार वधियेक प्रस्ताव 2022** जारी कयिा।

भारतीय दूरसंचार वधियेक प्रस्ताव 2022:

- **परचिय:**
  - मसौदा वधियेक तीन अलग-अलग अधनियिमों को समेकति करता है जो वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को नयिंत्रति करते हैं जसिमें **भारतीय टेलीग्राफ अधनियिम, 1885**, **भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधनियिम, 1933** और **द टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी संरक्षण) अधनियिम, 1950** शामलि हैं।
- **ट्राई की शक्तमिें कमी:**
  - दूरसंचार वभिाग ने सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी करने पर **भारतीय दूरसंचार नयिामक प्राधकिरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI/ट्राई)** की कुछ महत्त्त्वपूर्ण शक्तयिों और ज़मि्मेदारयिों को कम करने का भी प्रस्ताव दयिा है।
- **OTT वनियिमन:**
  - सरकार ने इंटरनेट आधारति और OTT संचार सेवाओं जैसे-**व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम, गूगल मीट आदकिो दूरसंचार सेवाओं के तहत शामलि कयिा है।**
    - यह मांग एक समान अवसर प्रदान करने के लयि दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। फलिहाल जहाँ टेलीकॉम कंपनयिों को सेवाएँ देने के लयि **लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म को नहीं।**
    - इसके अलावा OTT को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का मतलब है कि OTT और इंटरनेट आधारति संचार सेवाएँ प्रदान करने के लयि लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- **वापसी का प्रावधान:**
  - दूरसंचार मंत्रालय ने कसिी दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थतिि में शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावति कयिा है।
- **लाइसेंसधारयिों द्वारा भुगतान में चूक:**
  - भुगतान में चूक की स्थतिि और असाधारण परस्थितियिों में वत्तिीय, उपभोक्ता ब्याज़, क्षेत्र में प्रतस्पिर्द्धा बनाए रखने या वश्विसनीयता एवं दूरसंचार सेवाओं की नरिंतर पूर्त सहति सरकार ऐसी राशयिों के भुगतान को स्थगति कर सकती है अथवा एक हस्से या सभी देय राशयिों को शेयरों में परविर्तति कर सकती है, देय राशयिों को बट्टे खाते में डाल सकती है या भुगतान से राहत प्रदान कर सकती है।
- **दवािला मामले में:**
  - दवािलयिा होने की स्थतिि में इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम सरकारी नयिंत्रण में वापस आ जाता है तथा केंद्र सरकार इस तरह के लाइसेंसधारी को स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रखने की अनुमतदिेने सहति कोई और नर्धिारति कार्रवाई कर सकती है।
- **दूरसंचार वकिास कोष:**
  - यह **यूनविर्सल सर्वसि ऑब्लगिेशन फंड (USOF)** का नाम बदलकर **दूरसंचार वकिास कोष (TDF)** करने का प्रस्ताव करता है।
    - USOF की प्राप्तति **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वार्षकि राजस्व** से होती है। TDF के लयि प्राप्त राशकिो सबसे पहले भारत की संचति नधिि में जमा कयिा जाएगा।

- इस कोष का उपयोग ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये किया जाएगा। यह **नई दूरसंचार सेवाओं के अनुसंधान और विकास, कौशल विकास एवं नई दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत का समर्थन करने में भी सहायता करेगा।**

भारत में दूरसंचार उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- **वर्तमान स्थिति:**
- भारत में दूरसंचार उद्योग वर्ष 2022 तक 1.17 बिलियन ग्राहकों के साथ **दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत की कुल टेलीडेंसिटी (एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सौ व्यक्तियों के लिये टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है) 85.11 प्रतिशत है।**
- पिछले कुछ वर्षों में उद्योग की घातीय वृद्धि मुख्य रूप से किफायती टैरिफ, व्यापक उपलब्धता, **मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP)** के रोल-आउट, 3G और 4G कवरेज का विस्तार एवं ग्राहकों के उपभोग प्रतिरूप को विकसित करने की वजह से प्रेरित है।
- FDI प्रवाह के मामले में दूरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो **कुल FDI प्रवाह का 6.44% योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोज़गार एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन रोज़गार** में योगदान देता है।
- वर्ष 2014 से 2021 के बीच दूरसंचार क्षेत्र में FDI प्रवाह 150% बढ़कर 20.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वर्ष 2002-2014 के दौरान 8.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- टेलीकॉम सेक्टर में अब ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दे दी गई है।
- भारत वर्ष 2025 तक लगभग 1 बिलियन स्थापित उपकरणों के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाज़ार बनने की राह पर है और **वर्ष 2025 तक 920 मिलियन मोबाइल ग्राहक होने की उम्मीद है जिसमें 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल होंगे।**
- **पहल:**
  - **आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PLI योजनाएँ:**
    - दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण के लिये 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI)। मौजूदा PLI योजना की डिज़ाइन आधारित निर्माण योजना के लिये 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन निर्धारित किये गए हैं।
  - **दूरसंचार क्षेत्र में सुधार:**
    - वर्ष 2021 में तरलता बढ़ाने और दूरसंचार क्षेत्र के भीतर वित्तीय तनाव को कम करने के लिये बड़े पैमाने पर संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार किये गए हैं।
  - **भारत नेट परियोजना:**
    - भारत नेट परियोजना के तहत 178,247 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई, जिनमें से 161,870 ग्राम पंचायतों में यह सेवा के लिये तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, 4,218-ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा गया है, जिससे सेवा के लिये तैयार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 166,088 हो गई है।
    - प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI):
    - ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में तेज़ी लाने के लिये देश भर में फैले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDO) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवा का प्रावधान करना।
- **चुनौतियाँ:**
  - **प्रति उपयोगकर्त्ता औसत राजस्व में गिरावट (ARPU):** ARPU में लगातार तीव्र गिरावट देखी जा रही है, जो घटते मुनाफे और कुछ मामलों में गंभीर नुकसान के साथ भारतीय दूरसंचार उद्योग को राजस्व बढ़ाने के एकमात्र तरीके के रूप में समेकन के लिये प्रेरित कर रही है।
    - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम क्षेत्र से लगभग 92,000 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व की वसूली के लिये सरकार की याचिका को अनुमति दे दी, जो उनकी परेशानियाँ और बढ़ा देती है।
  - **सीमित विस्तार-क्षेत्र की उपलब्धता:** उपलब्ध विस्तार-क्षेत्र यूरोपीय देशों की तुलना में 40% और चीन की तुलना में 50% से कम है।
  - **कम ब्रॉडबैंड पहुँच :** देश में कम ब्रॉडबैंड पहुँच चिंता का विषय है। पिछले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) में ब्रॉडबैंड पर प्रस्तुत श्वेतपत्र के अनुसार, भारत में ब्रॉडबैंड की पहुँच केवल 7% है।
  - व्हाट्सएप, ओला आदि जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) एप्लीकेशन को किसी दूरसंचार कंपनी से अनुमति या समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व संग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **दूरसंचार उपकरणों पर शुल्कों में भारी उतार-चढ़ाव** जो कि केंद्रीय सर्वर से उपभोक्ता को पूरी प्रणाली से जोड़ने में योगदान देता है।

ओवर-द-टॉप (OTT):

- **OTT** या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवाएँ **जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार** आदि हैं, जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुए लेकिन जल्द ही स्वयं भी लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों के साथ वृत्तचित्र एवं वेब सीरीज़ बनाने व रिलीज़ करने में शामिल हो गए।
  - ये प्लेटफॉर्म कई प्रकार की सामग्री प्रदान करते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके उपयोगकर्त्ताओं को उस सामग्री का सुझाव देते हैं जिसे वे इस प्लेटफोर्म पर अपने रुचि के आधार पर देख सकते हैं।
  - अधिकांश **OTT** प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री मुफ्त में पेश करते तथा और प्रीमियम सामग्री के लिये मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है।

आगे की राह

- भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे- **पर्याप्त विस्तार-क्षेत्र बनाए रखना और नई तकनीकों को तेज़ी से अपनाना** ताकि ग्राहकों को बेहतर एवं सुविधा संपन्न सेवा के साथ नई सुविधाओं और तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

- मसौदा दूरसंचार वधियक 2022 ने इन चुनौतियों की ओर ध्यान दयिा और यह कसिी भी प्रकार के सुझाव के लयि आमंत्रति करता है ताकि आगे चलकर भारत में दूरसंचार के भवषि्य के बारे में एक व्यापक नीति का नेतृत्त्व कर सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????????:

प्रश्न. भारत में नम्निलखिति में से कौन दूरसंचार, बीमा, बजिली आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नयिामकों की समीक्षा करता है? (2019)

1. संसद द्वारा गठति तदर्थ समतियिाँ
2. संसदीय वभिाग से संबंधति स्थायी समतियिाँ
3. वत्ति आयोग
4. वत्तिीय क्षेत्र वधिायी सुधार आयोग
5. नीति आयोग

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) केवल 2 और 5

उत्तर: a

- संसदीय समतियिाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समतियिाँ और तदर्थ समतियिाँ।स्थायी समतियिाँ हर साल या समय-समय पर चुनी या नयिुक्त की जाती है तथा उनका काम कमोबेश नरिंतर आधार पर चलता रहता है। तदर्थ समतियिाँ का गठन आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर कयि जाता है एवं जैसे ही वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं, उनका अस्तत्वि समाप्त हो जाता है।
- भारत में वभिाग संबंधति 24 स्थायी समतियिाँ हैं जनिमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामलि हैं। ये समतियिाँ मंत्रालय वशिष्टि हैं और अपने संबंधति वभिागों के भीतर नयिामकों के कामकाज की समीक्षा कर सकती हैं। उदाहरण के लयि अगस्त 2012 में, ऊर्जा संबंधी स्थायी समति ने 'केंद्रीय वद्युित नयिामक आयोग' के कामकाज पर एक रपिोर्ट प्रस्तुत की। **अतः 1 सही है।**
- **संसद द्वारा गठति तदर्थ समतियिाँ नयिामकों के कामकाज की जाँच कर सकती हैं।** उदाहरण के लयि 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर संयुक्त संसदीय समति (JPC) की संदर्भ शर्तों में स्पेक्ट्रम मूल्य नरि्धारण और दूरसंचार लाइसेंस प्रदान करने पर नीति की समीक्षा शामलि है। वत्ति आयोग और नीति आयोग की भूमकिा सलाहकार प्रकृति की है तथा वे स्वतंत्र नयिामकों की समीक्षा नहीं करते हैं। **अत: 3 और 5 सही नहीं हैं।**
- वत्तिीय क्षेत्र वधिायी सुधार आयोग (FSLRC) का गठन मार्च 2011 में वत्ति मंत्रालय द्वारा भारत की वत्तिीय प्रणाली को नयिंत्रति करने वाले कानूनों की व्यापक समीक्षा एवं पुनर्रचना के लयि कयि गया था। स्वतंत्र नयिामकों की समीक्षा करने में इसकी कोई भूमकिा नहीं है **।अत: 4 सही नहीं है। इसलयि वकिल्प (a) सही उत्तर है।**

?????:

प्रश्न. सूचना प्रौद्योगकिी समझौतों (ITAs) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगकिी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हतिों पर क्या प्रभाव होगा?(2014)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/draft-indian-telecommunication-bill-2022